



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : कु.सं.5339/2024

दिनांक : 12 जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से संस्कृत संवर्धन योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले शिक्षकों के अनुदान सम्बन्धित प्रपत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा अग्रसारित कराने से पूर्व सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से यह सत्यापित कराना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय क्रियाशील है एवं प्रपत्र में अंकित किये गये भवन, कक्ष तथा प्राचार्य/शिक्षक कार्यरत हैं।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।


12/7/2024


(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति, को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
4. श्री मोहित मिश्र, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से कि उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को उनके लॉगिन आई.डी. के माध्यम से प्रेषित कराने का कष्ट करें।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. विनयाधिकारी।
7. अधीक्षक सम्बद्धता को इस आशय से कि समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को सूचनार्थ।
8. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
9. सम्बद्ध पत्रावली।


12/7/2024

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

